

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 07(02)राज/वाद/18 पार्ट-2

जयपुर, दिनांक 15-9-2020

:: आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-1A, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 में अधीनस्थ कार्यालय हेतु कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आरक्षित सूची में से पिक-अप किये गये अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु-3/2017 जयपुर, दिनांक 16.06.2020 के द्वारा इस विभाग को आवंटित 10 अभ्यर्थियों में से 07 अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे।

समसंख्यक आदेश दिनांक 24.07.2020 की पालना में कार्यग्रहण नहीं करने वाले निम्न 01 अभ्यर्थी की नियुक्ति/पदस्थापन एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है:-

क्र० सं०	मेरिट न०	रोल न०	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	चयनित श्रेणी
1	1308	221294	सुरेश कुमार चौधरी	हनुमान चौधरी	05.07.94	ओबीसी	ओबीसी

आज्ञा से,

(मधुसूदन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु-3/2017 दिनांक 16.06.2020 के क्रम में अभ्यर्थी श्री सुरेश कुमार चौधरी का मूल आवेदन पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित जिला कलक्टर।
5. अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, ब्यावर, जिला अजमेर।
6. संबंधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
7. संबंधित कोषाधिकारी।
8. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग।
9. संबंधित अभ्यर्थी.....।
10. प्रोगामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

(मधुसूदन शर्मा)
15-9-2020

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण